न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—123/15 (आरसीएमएस नं. 2015/00082)

1. श्री हर्षवर्धन सिंह खैरिया पुत्र श्री हरि सिंह खैरिया, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम प्लॉट नम्बर 37, शिव कॉलोनी, तिजारा फाटक, अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जिला मजिस्ट्रेट, अलवर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 21.05.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश दिनांक 23.12.2014 से असंतुष्ट होकर आर्म्स एक्ट की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ने पिस्टल का लाईसेन्स बनवाने हेतु विपक्षी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया लेकिन विपक्षी ने दिनांक 15.10.2014 को एक नोटिस जारी कर पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 89/2007 धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता का कारण अंकित करते हुए अपीलार्थी को 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा नोटिस का जवाब प्रेषित करते हुए अंकित किया कि उसे उक्त प्रकरण में दिनांक 24.07.2008 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 पार्ट 11 के अन्तर्गत अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है एवं उसके विरूद्ध अन्य कोई अपराधिक मामला दर्ज नही है, अपीलाथी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि उसने एक पेट्रोल पम्प महिला आरक्षित होने की वजह से अपनी बडी बहन के नाम सें आवंटित करवाया था लेकिन उसकी समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी ही निष्पादित करता है जिसका प्रमाण बैंक के प्रबन्धक द्वारा भी प्रमाणित किया गया था। उन्होने कथन किया है कि पैट्रोल पम्प से भारी रकम लाना ले जाना चुनौतीपूर्ण व जोखिम भरा कार्य है इसलिये अपीलाथी को आर्म्स लाईसेन्स दिया जाना न्यायोचित होगा लेकिन विपक्षी ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विपक्षी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2014 द्वारा अपीलार्थी को आर्म्स अनुज्ञापत्र का आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया है कि पुलिस अधीक्षक अलवर ने अनुज्ञापत्र दिये जाने के सम्बन्ध में गोपनीय जॉच करवाई जाने पर अपीलार्थी के जीवन के खतरे का कोई आसन्न व गंभीर कारण नही है जबकि इस समबन्ध में अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि एक पेट्रोल पम्प महिला आरक्षित होने की वजह से अपनी बडी बहन के नाम से आवंटित करवाया था लेकिन उसकी समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी ही निष्पादित करता है। उन्होने कथन किया है कि उक्त पेट्रोल पम्प पर दिनांक 31.05.17 को लूट की वारदात हुई थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 101/2017 दिनांक 01.06.2017 को दर्ज करवाई गई थी तथा इस वारदात के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था एवं अब वे अभियुक्त जमानत पर छूट गये

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

है और अपीलान्ट को धमकियॉ दे रहे है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की सुरक्षा को देखते हुये पिस्टल का लाईसेन्स की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए विपक्षी जिला मजिस्ट्रेट, अलवर का आदेश दिनांक 23.12.2014 को निरस्त कर अपीलार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुये एन.पी.बी. रिवाल्वर/पिस्टल एम्यूनेशन 25/50 आर्म्स लाईसेन्स जारी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि पुलिस अधीक्षक अलवर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी.(एसबी) जयपुर ने अपीलान्ट को आर्म्स लाईसेन्स नही दिये जाने का अभिमत भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2014 पारित किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 101/2017 के अवलोकन से जाहिर है कि दिनांक 31.05.17 को मैं रत्तिराम खैरिया फ्यूल्स झझारपुर पर लूट की वारदात हुई है एवं अपीलान्ट उक्त पेट्रोल पम्प अपीलान्ट की बडी बहन के नाम आवंटित होना व उसकी समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी द्वारा ही निष्पादित करने का कथन कर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.21–1(343)शस्त्र/2014/10175 दिनांक 23.12.2014 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।